2022/238

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट बनाम **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री मिट्ठनलाल पुत्र श्री भगवानराव
जाति आर्यप्रेमी
निवासी मनन क्लिनिक पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 36 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.05.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को एक प्रार्थना पत्र देकर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था परन्तु लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा उनका आवेदन जरिए पत्र क्रमांक 615–616 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा को स्थानान्तरित कर दिया गया था, लेकिन तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई समस्त सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को एक प्रार्थना पत्र देकर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था परन्तु लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा उनका आवेदन जरिए पत्र क्रमांक 615–616 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा को स्थानान्तरित कर दिया गया था एवं तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 349 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2023.03.01 13:13:45 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner